रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23022021-225365
CG-DL-E-23022021-225365

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 764] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 22, 2021/फाल्गुन 3, 1942
No. 764] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 22, 2021/PHALGUNA 3, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 2021

का.आ. 832(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गई अनुसूची में यथा-विनिर्दिष्ट भूमि के खण्ड के सम्बन्ध में बिहार राज्य के बेतिया से उत्तर प्रदेश के तमकुहीराज तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या - 727AA के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन/बायपास बनाने आदि) , अनुरक्षण प्रबंध और प्रचालन के लिए उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है

अनुसूची

बिहार राज्य के बेतिया से उत्तर प्रदेश के तमकुहीराज तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या - 727AA के निर्माण।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	जिला भू - अर्जन पदाधिकारी ,पश्चिम चम्पारण	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH727AA के कि.मी. 0 से 25.4 तक	बिहार	पश्चिम चम्पारण	चनपटिया	1 गुरवलिआ बिस्वास बन्दोबस्ती 2 टोला बिशुनपूर उर्फबिशुनपूरतुनिया 3 मेथवलिआ
					बैरिया	1 पटजिरवा 2 सूरजपुर 3 बलुआ रामपुर 4 बघम्बरपुर 5 निमुइया 6 पतरखा नौरगिंया 7 मसानठाब 8 गोबरही 9 टोला अलपाहा (टोला अलख डाबरी)

[फा. सं. RW/PAT/NH-727AA/LA/2020-21]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd February, 2021

S.O. 832(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for construction (widening/two laning/ paved shoulder, etc.,) maintenance, management and operation of the National Highway -727AA from Bettiah in State of Bihar to Tamkuhiraj in State of Uttar Pradesh.

SCHEDULE

Construction of NH-727AA from Bettiah in State of Bihar to Tamkuhiraj in State of Uttar Pradesh.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	District Land Aquisition Officer , West Champaran	0KM To 25.4KM	BIHAR	WEST CHAMPARAN	Chanpatia	1 Gurwalia Biswas Bandobasti 2 Tola Bishunpur urf Bishunpur Tunia 3 Methwalia
					Bairia	1 Patjirwa 2 Surajpur 3 Balua Rampur 4 Baghambarpur 5 Nimuia 6 Patarkha Naurangia 7 Masan thab 8 Gobarhi 9 Tola Alpaha(Tola alakh dabri)

[F. No. RW/PAT/NH-727AA/LA/2020-21]

RAJESH GUPTA, Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.02.23 21:21:10 +05'30'